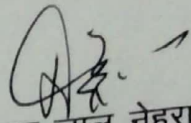


एकल-पीठ
श्री मदन लाल नेहरा, सदस्य

आदेश

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी स्वयं को बार-बार रुक-रुक कर आवाजें लगायी गयी। बावजूद सूचना के वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुये। अतः वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी स्वयं की अनुपस्थिति में प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मदन लाल नेहरा)
सदस्य